(126)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

RS131-II/16

RS-301-

1— भैयालाल तनय गायत्री प्रसाद ब्रा0 उम्र 66 वर्ष, पेशा खेती,

2— दीपक तनय भैयालाल ब्रा0 उम्र 42 वर्ष, पेशा खेती, दोनों निवासी ग्राम बसहट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0

————————निगरानीकर्तागण

बनाम

तेरसू प्रजापति तनय महावीर प्रजापति उम्र 67 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम बसहट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0

————————गैरनिगरानीकर्ता

श्री. [illegible] द्वारा आज दिनांक 10.3.16 को प्रस्तुत किया गया

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार वृत्त चाक, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क0—2/अ70/2014—15 आदेश दिनांक 19.02.2016

————————————————

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता

————————————————

मान्यवर्

निगरानी के आधार निम्न हैं :—

1— यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यहकि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आराजी खसरा क0—240/1, 240/2 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर सोनौरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, वक्त सीमांकन विवादित

[redacted]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5131–दो/16 निगरानी   जिला रीवा

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी तहसीलदार त्योंथर के प्रकरण कमांक 2 अ 70 / 2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19–2–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 240/1 स्थित ग्राम बसहट का सीमांकन हुआ था जिसके अंश रकबा 60X 11 फीट पर आवेदक व्दारा अवैध कब्जा करना पाया गया, जिसके आधार पर आवेदक के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार त्योंथर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 2 अ 70 / 2014–15 प्रचलित हुआ। तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण ने धारा 250 के दावे का उत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार त्योंथर ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 19–2–16 पारित करते हुये आवेदकगण व्दारा धारा 250 के आवेदन पर प्रकरण की प्रचलनशीलता पर प्रस्तुत आपत्ति खारिज कर दी एंव प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करने के लिये आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गई है, जबकि तहसील न्यायालय में प्रथमतः आवेदन कर्ता (इस न्यायालय का	

अनावेदक) की साक्ष्य ली जावेगी , इसके उपरांत अनावेदकगण को मौखिक एंव लेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। स्पष्ट है दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय में पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी—स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य